न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 68/14 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00299

उनवान

1. सामन्ती पत्नी रज्जो
2. ईश्वरी
3. जीतेन्द्र
4. वीरेन्द्र } पुत्रान रज्जो
5. मुकेश
6. कृष्णा कुमारी पुत्री रज्जो

} जाति जाटव नि0 ग्राम तेहरा लोधा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगमोहन पुत्र नवल सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तेहरा लोधा तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
3. शाखा प्रबन्धक ए0बी0ए0जी0 रोज़ विला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 12.04.2014 प्र.सं. 558/2008 उनवानी रज्जो बनाम जगमोहन।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 29.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 443/0.29 है0

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादीगण/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। बन्दोबस्त विभाग ने सविक नम्बरो से हाल खसरा नम्बर 443/0.29 है0 बनाते समय आराजी का रकवा 0.05 है0 कम कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01/रैस्पो0 ने एक झूठा दावा वादी/अपीलाण्ट व उसके परिवारीजनो के विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट की भूमि को हडपने की नियत से पेश किया गया है। उक्त दावा में उसने आक्षेपित किया है कि हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 के सहारे खसरा नम्बर 443/0.29 है0 का है। वादी/अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 सवर्ण जाति का व्यक्ति है। उसकी खातेदारी का हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0, गत खसरा नम्बर 171/0.11 व 189/2.08 रास्ता आम मकबूजा राज की भूमि है। जिस पर वादी/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष का कब्जा था। प्रतिवादी/रैस्पो0 ने अपनी गैर खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से जमाबन्दी में दर्ज कराया है। हाल खसरा नम्बर 439 व 443 आपस में चिपटेमा नहीं हैं। बीच में डामर रोड है। प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित आराजी से वादी/अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी/रैस्पो0 के हाल खसरा नम्बर 439 को कब्जेराज लेकर रास्ता घोषित कर हाल नक्शें में दुरूस्ती करने एवं वादी/अपीलाण्ट के कम हुये रकवे की पूर्ति प्रतिवादी/रैस्पो0 के रकवे से किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने दोनों विवादित आराजी खसरा नम्बर बाबत् समस्त हाल व सविक रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल व सविक व हाल नक्शा पेश किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने भूमि अवाप्ति का रिकार्ड भी प्रस्तुत किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो के परे जाकर तनकी संख्या 01 का निर्णय किया है। उक्त दस्तावेजात के अनुसार खसरा नम्बर 146 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि सविक खसरा नम्बर 171 से बना है जो कि सविक रिकार्ड में मकबूजा राज0 सरकार दर्ज है। परन्तु उक्त नम्बर बाद में रैस्पो0 की गैर खातेदारी में चला गया और आगे चलकर रैस्पो0 उक्त नम्बर का खातेदार हो गया। रिकार्ड मे हाल खसरा नम्बर 146 सविक खसरा नम्बर 171 के अनुसार ही आया जबकि हाल खसरा नम्बर 439 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सविक खसरा नम्बर 189 व सविक खसरा नम्बर 171 से बना है। जबकि सविक खसरा नम्बर 171 से हाल खसरा नम्बर 146 बन चुका था तो सविक खसरानम्बर 171 का अब कोई भी रकवा शेष नहीं रहा तथा सविक खसरा नम्बर 189

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रिकार्ड के अनुसार ग्राम के मार्ग व पगडंडियों में शामिल था जो आगे चलकर आम रास्ता बना जिसमें डाबर सडक का निर्माण हो चुका है। इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि हाल खसरा नम्बर 439 आम रास्ता है जिसमें से वर्तमान में सडका का निर्माण हो गया है। परन्तु खसरा नम्बर 439 बन्दोबस्त विभाग ने किस्म बंजड रखते हुये रैस्पो0 को खातेदारी में दे दिया। तथा इसके विपरीत हाल खसरा नम्बर 146 को रास्ता आम दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बर 146 रैस्पो0 की खातेदारी का है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 146 व 439 को मौके व रिकार्ड से भिन्न दर्ज कर दिया। इस प्रकार रैस्पो0 का खसरा नम्बर 439 से कोई संबंध व सरोकार ही नहीं रहा। इसके अलावा बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन करने के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार रास्ते पगडन्डीया की आराजी पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। रैस्पो0 का हाल खसरा नम्बर 439 से कोई संबंध सरोकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग ने नियमानुसार रैस्पो0 को खातेदारी दी है। रैस्पो0 विवादित आराजी पर संवत 2032 से गैर खातेदार दर्ज था। समस्त कार्यवाही की अपीलाण्ट को शुरू से जानकारी है। अपीलाण्ट बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति है एवं रैस्पो0 से रंजिश रखता है। विवादित आराजी कभी रास्ता की भूमि नहीं रही है। अपीलाण्ट को अपने रकवा की पूर्ति हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी। यदि अपीलाण्ट विवादित भूमि को रास्ते की भूमि मानते हैं तो रास्ते की भूमि में से वह अपने रकवे की कमी पूर्ति नहीं करा सकते। इसके अलावा विवादित भूमि को रास्ता घोषित कराने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट का दावा ही गलत है। नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी, विवादित आराजी आवंटन से प्राप्त हुयी थी, आवंटन को भी चुनौती नहीं दी गयी। अपने लिये कोई अनुतोष ही नहीं चाहा तो दावा पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे(24) 2017 पेज 325 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु सात तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचना निम्नानुसार है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. तनकी संख्या 01– "आया वादी वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नम्बर 439/0.10 है0 से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन करा उसे गै0 मु0 रास्ता दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं" हम पाते हैं कि हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 साविक खसरा नम्बर 171 मिन व 189 रकवा 02 बीघा 8 विस्वा से निर्मित हुआ है। जबकि खसरा नम्बर 171 का कोई भी रकवा हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 में शामिल नहीं है। क्योंकि साविक खसरा नम्बर 171 रकवा 11 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 146/0.08 है0 बन्दोबस्त विभाग ने निर्मित किया है। इस प्रकार साविक खसरा नम्बर 171 रकवा 11 विस्वा का कोई भाग शेष नहीं रहा तो इसका कुछ भाग हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 में किस प्रकार से शामिल हो सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध साविक नक्शा व हाल नक्शा से यह बखूबी साबित है कि साविक नक्शा व हाल नक्शा में अन्तर है। खसरा नम्बर साविक 189 जो कि रास्ता है। जिसका हाल खसरा नम्बर 439 है वह बिल्कुल रास्ते के सामने व रास्ता के ही आकार का है। लेकिन खसरा नम्बर 439 रास्ता दर्ज ना होकर खसरा नम्बर 146 को रास्ता दिखा दिया है। जबकि साविक नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 439 व 146 रास्ते के ही भाग है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 171 पर रैस्पो0 के गैर खातेदारी स्त्रोत दाखिल खारिज संख्या 159 दिनांक 22.08.1968 किस आदेश/डिक्री से खोला गया का भी विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है। जहाँ तक रैस्पो0 की यह आपत्ति की अपीलाण्ट ने अपने लिये कोई अनुतोष ही नहीं चाहा तो दावा पोषणीय नहीं है, बाबत हम पाते हैं कि चूंकि उक्त तनकी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 439 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि होना सिद्ध है। अतः राजस्व रिकार्ड अंथवा नक्शा में शुद्धि हेतु राज्य हित में कोई भी व्यक्ति दावा लाने को स्वतंत्र हैं। इस प्रकार रैस्पो0 के विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 439 पर खातेदारी अधिकार वैध नहीं पाये गयें हैं। अतः तनकी वहक वादी अपीलाण्ट तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 02 " आया वादी वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नम्बर 443/0.29 है0 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है" वादी हाल खसरा नम्बर 443/0.29 है0 का खातेदार है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के तनकी संख्या एक में हाल खसरा नम्बर 439 पर खातेदारी अधिकार वैध नहीं पाये गये हैं। अतः वादी अपीलाण्ट प्रतिवादी रैस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के हकदार होते हैं। अतः तनकी वहक वादी अपीलाण्ट तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 03 "आया वादी अपना रकवा कमी वेशी प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 में से करा पाने का अधिकारी है" चूंकि तनकी संख्या एक में विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की होना सिद्ध है। अतः विवादित आराजी में ना तो वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट ही अपना रकवा कमी पूर्ति करा सकते हैं एवं ना ही प्रतिवादी रैस्पो० का ही विवादित आराजी में कोई स्वत्व है। अतः यह तनकी राज्य हित में निर्णित की जाती है।

9. तनकी संख्या 4, 5 व 6, अधीनस्थ न्यायालय की तनकी संख्या 4, 5 व 6 के निर्णय से हम पूर्ण सहमत हैं। अतः उक्त तनकियों का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार ही किया जाता है।

10. अनुतोष – समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। विवादित खसरा नम्बर 439/0.10 है० गैर मुमकिन रास्ते की जमीन होना प्रमाणित है। अतः दावा अपीलाण्ट आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 439/0.10 है० से प्रतिवादी रैस्पो० के नाम कलमजन किये जाकर विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता की भूमि दर्ज किये जाने एवं नक्शे में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

11. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 निरस्त किया जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर